सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख, 1933 शकाब्द

संख्या 313

राँची, शनिवार 14 मई, 2011

मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

11 मई, 2011

संख्या रा०को0-10 / 2010 / 1291--झारखण्ड के राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक मे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं --

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ--

(1) यह नियमावली झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

भाग 1–प्रारंभिक

2. परिभाषाएँ–

(1) इन नियमों में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो,–

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) ;

(ख) "नियमावली" से तात्पर्य है झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 ;

(ग) "आंगनबाड़ी" से तात्पर्य है भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित आंगनबाडी केन्द्र ;

(घ) "नियत तारीख" से तात्पर्य है वह तारीख जिस तिथि से अधिनियम लागू किया गया है;

(ङ) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार ;

(च) "जिला शिक्षा अधीक्षक" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी ;

(छ) "बच्चे" से तात्पर्य हैं 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे ;

(ज) "छात्र–शिक्षक अभिलेख" से तात्पर्य है व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया छात्र की प्रगति का अभिलेख ;

(झ) "विद्यालय योजना निर्माण" से तात्पर्य है सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिये अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिये विद्यालय स्थान की योजना बनाना ;

(ञ) "विभाग" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग।

(2) इस नियमावली में "प्रपत्र" का कोई भी संदर्भ इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र(त्रों) को इंगित करेगा।

(3) जो शब्द इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

भाग 2–विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कार्य –

(1) गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी विद्यालयों में अधिनियम लागू होने के 6 मास के भीतर विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है) का गठन किया जायेगा एवं इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

(2) उक्त समिति में सदस्यों की संख्या 16 होगी जिसमें पचहत्तर प्रतिशत यथा: 12 सदस्य संबंधित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के माता–पिताओं या अभिभावकों में से होंगे।

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत यथा: 4 निम्नवत् होंगे –

(क) स्थानीय प्राधिकार के एक निर्वाचित सदस्य;

(ख) विद्यालय का एक शिक्षक, जिसका चयन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जायेगा;

(ग) विद्यालय की बाल संसद के एक प्रतिनिधि;

(घ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक।

(4) उक्त समिति, माता–पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करेगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक प्रबंध समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे।

(5) उक्त समिति की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होगी। बैठकों की कार्यवाही उक्त समिति के सदस्य संयोजक द्वारा विधिवत संधारित की जायेगी। कार्यवाही पंजी आम जनता के अवलोकन हेतु विद्यालय में उपलब्ध रहेगी।

(6) उक्त समिति, अधिनियम में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्यों का निर्वहन करेगी:–

(क) अधिनियम में उल्लेखित बालक के अधिकारों एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, माता पिता तथा अभिभावकों के कर्तव्यों के संबंध में विद्यालय के आसपास की जनता को सरल ढंग से बतायेगी ;

(ख) अधिनियम की धारा 24 के खंड (क) और खंड (ङ) तथा धारा 28 का अनुपालन करेगी ;

(ग) शिक्षकों पर गैर–शैक्षणिक कर्त्तव्यों का भार नहीं डाला जाये, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों का नामांकन और नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी ;

(ङ) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मानकों को विद्यालय में बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी ;

(ञ) बालक के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन होने पर, समिति इसको स्थानीय प्राधिकार की जानकारी में लायेगी ;

(ट) विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाने, योजना तैयार करने तथा अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के लागू करने हेतु अनुश्रवण करने का कार्य करेगी ;

(ठ) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान कर, उनका नामांकन करवाने तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं का अनुश्रवण करने और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने का कार्य सुनिश्चित करेगी ;

(ड) विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का समुचित रूप से कार्यान्वयन करवायेगी एवं योजना के सभी पहलुओं का अनुश्रवण करेगी ;

(ढ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करेगी।

(7) ऐसी प्रत्येक उक्त समिति का एक बैंक खाता होगा एवं समिति द्वारा प्राप्त किसी भी धनराशि को इस खाते में रखा जायेगा एवं इसका वार्षिक रूप से अंकेक्षण किया जायेगा।

(8) विद्यालय से संबंधित लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उनके तैयार किये जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. विद्यालय विकास योजना तैयार करना–

(1) विद्यालय प्रबंध समिति उस द्वितीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनायें होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे:–

(क) प्रत्येक वर्ष के लिये कक्षा–वार नामांकन का आकलन ;

(ख) अधिनियम एवं नियम के अनुसार, कक्षा 1 से कक्षा 5 और कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिये अलग से अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की आवश्यकता का विवरण ;

(ग) अधिनियम एवं नियम के अनुसार, अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता का विवरण;

(घ) अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये कोई अन्य अतिरिक्त आवश्यकता।

(ङ) उपरोक्त के आलोक में विद्यालय की वित्तीय आवश्यकता ;

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

भाग 3–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा

5. विशेष प्रशिक्षण–

(1) प्रत्येक विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों की पहचान करेगी और ऐसे बच्चों के लिये निम्नलिखित रूप से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी –

(क) अधिनियम की धारा 29 के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी ;

(ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों में लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय कक्षाओं में आयोजित किया जायेगा ;

(ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस हेतु विशेष रूप से नियुक्त शिक्षकों द्वारा दिया जायेगा;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की अवधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिये होगी जिसे परिस्थिति विशेष में दो वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) वर्ग में अन्य बच्चों के साथ समन्वय हेतु विद्यालय में प्रवेश हो जाने के बाद भी ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

भाग 4– राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं–

(1) निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित सीमा के अन्तर्गत विद्यालय स्थापित किया जायेगा–

(क) कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चों के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर ;

(ख) कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए दो किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर ;

(2) भौगोलिक दृष्टिकोण से कठिन क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, आवागमन के दृष्टिकोण से कठिन क्षेत्र, या विद्यालय आने–जाने के मार्ग के असुरक्षित होने जैसे मामलों में दूरी की सीमा को शिथिल करते हुये विद्यालय स्थापित किया जायेगा।

(3) जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति आवश्यकतानुसार वर्ग 1 से 5 के विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तथा ऐसे विद्यालय जहाँ वर्ग 8 से कक्षाएं प्राप्त होती है उनमें वर्ग 1 से 5 या ऐसे विद्यालय जहां वर्ग 1 से 7 की पढाई होती है वहां वर्ग 8 जोड़ सकेगी।

(4) सघन आबादी वाले क्षेत्रों के पोषक क्षेत्र के लिये आवश्यकतानुसार एक से अधिक विद्यालय की स्थापना की जा सकेगी।

(5) स्थानीय प्राधिकार आसपास के ऐसे विद्यालय/विद्यालयों का पता लगायेगा, जहां बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है और प्रत्येक क्षेत्र के लिये ऐसी सूचना आम जनता को उपलब्ध करायेगा।

(6) निःशक्तता से ग्रस्त बालकों को विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

(7) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से बाधित न हो।

7. राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के उत्तरदायित्व–

(1) अधिनियम की धाराओं के अनुरूप विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार निःशुल्क शिक्षा के लिये हकदार होगा;

परन्तु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष शिक्षा और सहायक सामग्री के लिये भी हकदार होगा।

(2) आस–पास के विद्यालयों की आवश्यकता का आकलन और उनकी स्थापना करने हेतु राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार विद्यालय की योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों और धारा 4 में उल्लेखित बालकों सहित सभी बालकों की, नियत तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष, पहचान करेगा।

(3) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय में किसी भी बालक से जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग संबंधी विभेद नहीं किया जाये।

8. स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों के अभिलेखों को संधारित करना –

(1) स्थानीय प्राधिकार अपने क्षेत्राधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण द्वारा, उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख संधारित करेगा एवं इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जायेगा।

(2) उक्त ऐसे अभिलेख को, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रखा जाएगा और उसका उपयोग अधिनियम में उल्लेखित कार्यों के लिए किया जाएगा।

(3) अभिलेख में, प्रत्येक बालक के संबंध में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा:–

(क) नाम, लिंग, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान ;

(ख) माता–पिता या अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय ;

(ग) उस पूर्व प्राथमिक/आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम, जहां बालक (छह वर्ष की आयु तक) उपस्थित रहा है ;

(घ) प्राथमिक विद्यालय, जहां बालक का नामांकन किया जाना है या नामांकन किया गया है ;

(ङ) बालक का वर्तमान पता ;

(च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा है (6 वर्ष 14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों के लिए) और यदि स्थानीय प्राधिकार की क्षेत्रीय अधिकारिता में शिक्षा जारी नहीं रहती है तो ऐसे जारी न रहने का कारण ;

(छ) क्या बालक कमज़ोर वर्ग का है ;

(ज) क्या बालक किसी अलाभप्रद समूह का है ;

(झ) क्या बालक (i) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या; (ii) आयु अनुरूप नामांकन; और, (iii) निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या आवासीय सुविधाओं का हकदार है।

(ञ) स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालयों में नामांकित बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से दर्शाये गए है।

भाग 5—विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

9. कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश—

(1) अधिनियम के अनुरूप विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से अलग किया जाएगा न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए होने वाली कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जायेंगी।

(2) विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार नामांकित किये गए बालक के साथ पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय और अन्य सभी सुविधाएँ के संबंध में, या किसी भी अन्य परिप्रेक्ष्य में, किसी भी रीति में, शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा।

10. आयु के सबूत के रूप में दस्तावेज — जहां कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजन के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा—

(क) अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख;

(ख) आंगनबाड़ी अभिलेख;

(ग) माता—पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

11. प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि–

(1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छह मास की होगी।

(2) जहां किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में नामांकित किया जाता है, वहां वह विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा यथा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

(3) शैक्षणिक सत्र के भीतर अन्य विद्यालय से स्थानान्तरित होकर आये बच्चे का नामांकन विद्यालय द्वारा ठुकराया नहीं जायेगा एवं इसे विस्तारित अवधि के बाद का नामांकन नहीं समझा जायेगा।

(4) किसी बच्चे को न तो विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा और न ही किसी कक्षा में रोका जायेगा एवं इसका उल्लंघन होने पर संबंधित विद्यालय/शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

(5) विद्यालय में बच्चों को न तो किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड दिया जायेगा और न ही उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना दी जायेगी। इसका उल्लंघन होने पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय/शिक्षक पर कार्रवाई की जा सकेगी।

12. विद्यालय को मान्यता–

(1) अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित किये गये प्रत्येक कोटि के विद्यालय को नियत तारीख से तीन माह के भीतर अधिनियम की अनुसूची में अंकित सन्नियमों और मानकों के उसके द्वारा अनुपालन किये जाने या अन्यथा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के संबंध में प्रपत्र–1 में स्वघोषणा संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को देनी होगी –

(क) विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित है अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ;

(ख) विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्ति–समूह, व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ;

(ग) विद्यालय संविधान के आदर्शों के अनुरूप है।

(घ) विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

(ङ) विद्यालय राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध है ;

(च) विद्यालय समय-समय पर ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिनकी मांग की जाती है और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो विद्यालय की मान्यता की शर्तों के सतत अनुपलान को सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते है ;

(2) प्रपत्र-1 में प्राप्त प्रत्येक स्वतः घोषणा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(3) जिला शिक्षा अधीक्षक उपनियम (1) में वर्णित मापदंडों, मानकों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए स्वतः घोषणा प्राप्त होने के तीन मास के भीतर उन विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करायेंगे, जिनके द्वारा प्रपत्र-1 में स्वघोषणा की गयी है।

(4) उपनियम (3) में उल्लेखित निरीक्षण किए जाने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और विद्यालयों को मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप पाए जाने पर निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रपत्र-2 में मान्यता प्रदान की जाएगी।

(5) वे विद्यालय जो उपनियम (1) में वर्णित मापदंडों, मानकों और शर्तों को पूरा नहीं करते है, के संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार की जायेगी। ऐसे विद्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक से अगले ढाई वर्ष के भीतर किसी भी समय मान्यता प्रदान करने के लिए स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकेंगे। परन्तु अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से यह अवधि ज्यादा नहीं होगी।

(6) वे विद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर उपनियम (1) में वर्णित मापदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं को बंद कर दिया जायेगा।

(7) प्रत्येक ऐसे विद्यालय, जिसकी स्थापना अधिनियम के लागू होने के पश्चात् की गई है, उन्हें इस नियम के अधीन मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अधिनियम की अनुसूची में अंकित संनियमों और मानकों के अनुरूप होना होगा।

(8) जिला शिक्षा अधीक्षक किसी भी विद्यालय को मान्यता देने संबंधी आदेश राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्गत करेंगे।

13. विद्यालय की मान्यता वापस लेना–

(1) जहां जिला शिक्षा अधीक्षक विवेक से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर यह विश्वास करने का कारण रखते हैं कि नियम–12 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय ने मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची में उल्लेखित मापदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है तो जिला शिक्षा अधीक्षक निम्नलिखित रूप से कार्य करेगा :–

(क) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को उल्लेखित करते हुए सूचना जारी करना और उससे एक मास के भीतर स्पष्टीकरण मांगना;

(ख) स्पष्टीकरण को संतोषप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में उक्त पदाधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जाएगा जो तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें शिक्षाविद्, सिविल सोसाईटी के प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। यह समिति विद्यालय की सम्यक् जांच करेगी और अपना प्रतिवेदन मान्यता के जारी रहने या उसे वापस लेने के लिए अपनी अनुशंशाओं सहित जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रस्तुत करेगी;

(ग) जिला शिक्षा अधीक्षक समिति के प्रतिवेदन और अनुशंशाओं के प्राप्त होने पर मान्यता वापस लेने के लिए आदेश पारित कर सकेंगे, परंतु जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मान्यता वापस लेने का ऐसा कोई आदेश विद्यालय को सुनवाई के लिये पर्याप्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा एवं यह कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा पारित मान्यता वापस लेने का आदेश तुरंत अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा तथा मान्यता वापस लेने वाले आदेश में ही यह उल्लेख किया जायेगा कि ऐसे विद्यालय के छात्र को किस विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।

भाग 6– अध्यापक

14. न्यूनतम अर्हताएं

(1) केन्द्र सरकार से अधिसूचित प्राधिकार द्वारा निर्धारित योग्यता सभी कोटि के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामलों में लागू होगी।

15. न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना :–

(1) राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों के ऐसे सभी शिक्षकों, जो नियत तारीख को प्रशिक्षित नहीं है, को प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायेगी, परन्तु यह कि नियत तारीख के उपरान्त किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जायेगी।

(2) सभी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं विशेष कोटि के विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम लागू होने के पांच वर्षों के अन्तर्गत उनमें कार्यरत कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित न हो।

16. अध्यापकों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले कर्तव्य

(1) अध्यापक प्रत्येक बच्चे के लिये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित अभिलेख संधारित करेंगे जो प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के लिये प्रमाणपत्र देने का आधार होगा।

(2) अध्यापक, धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ङ) तक में उल्लेखित कर्त्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे–

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना ,

(ख) पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्य पुस्तक विकास तथा प्रशिक्षण माडयुल में भाग लेना।

भाग 7– पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना

17. शैक्षणिक प्राधिकार :–

(1) अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत राज्य सरकार का शैक्षणिक प्राधिकार झारखण्ड राज्य शिक्षा शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् होगा।

(2) राज्य शिक्षा शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेगा:–

(क) सुसंगत एवं प्रासंगिक पाठ्य–पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करना ;

(ख) सेवाकालीन प्रशिक्षण डिजाइन तैयार करना ;

(ग) सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना; और,

(घ) विद्यालयों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु मार्ग निदेश तैयार करना।

18. प्रमाणपत्र प्रदान करना :–

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने का प्रमाणपत्र विद्यालय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के अधिकतम एक मास की अवधि के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में उल्लेखित प्रमाणपत्र में बालक के छात्र संबंधी अभिलेख के आधार पर प्रविष्टियां की जायेंगी।

भाग 8 बाल अधिकारों का संरक्षण।

19. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कार्यों का निर्वहन :–

(1) राज्य सरकार द्वारा, यदि राज्य में राज्य बाल अधिकार आयोग स्थापित नहीं है, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

(2) जब तक राज्य सरकार द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना नहीं की जाती है, तब तक राज्य सरकार अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में उल्लेखित कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण के रूप में एक अंतरिम प्राधिकरण (जिसे इस नियमावली में इसके पश्चात् आर० ई० पी० ए० कहा गया है) का गठन करेगी।

(3) शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण (आर० ई० पी० ए०) निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात :–

(क) अध्यक्ष, जो उच्च शैक्षणिक ख्याति का व्यक्ति हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या जिसने बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये उत्कृष्ट कार्य किया हो ; और

(ख) दो सदस्य जिनमें से एक महिला होगी और वे सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रख्यात, योग्य, विश्वसनीय, गणमान्य एवं अनुभवी हैं :

(i) शिक्षा एवं शिक्षा प्रशासन ;

(ii) बाल स्वास्थ्य और बाल विकास ;

(iii) बाल संरक्षण एवं न्याय या उपेक्षित या निम्नवर्गीय या निःशक्त बाल विकास ;

(iv) बाल श्रमिक उन्मूलन या व्यथित बच्चों के साथ कार्य;

(v) बाल मनोविज्ञान या सामाजिक शास्त्र ;

(vi) विधिक वृत्ति ।

(4) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 यथावश्यक परिवर्तन सहित आर० ई० पी० ए० के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर लागू होंगे।

(5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तुरंत पश्चात आर० ई० पी० ए० के सभी अभिलेख और आस्तियां उसे अंतरित हो जायेंगी।

(6) यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आर० ई० पी० ए० अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा उसे उल्लेखित विषयों पर भी कार्रवाई कर सकेगा।

(7) राज्य सरकार, यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आर० ई० पी० ए० को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में संसाधन एवं सहायता उपलब्ध करायेगी।

20. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति—

(1) यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आर०ई०पी०ए० एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना करेगा जो अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में परिवादों को संदीकृत करेगी जिनका उसके द्वारा पारदर्शी रूप में अनुश्रवण किया जा सकेगा।

(2) शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपादन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जिला शिक्षा न्यायाधीकरण गठित किये जायेंगे।

(3) स्थानीय प्राधिकार एवं विद्यालय प्रबंध समिति क्रमशः पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर शिक्षा के अधिकार के संरक्षण हेतु विद्यालय को नियमानुकूल निदेश निर्गत करेगी।

(4) उम्र संबंधी साक्ष्य या स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय द्वारा नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित बच्चे के माता–पिता या अभिभावक विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष लिखित रूप में शिकायत दर्ज कर सकेंगे एवं विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी शिकायतों का अविलम्ब निष्पादन कर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करेगी।

(5) इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप विद्यालय की सुविधा अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति द्वारा स्थानीय प्राधिकार को आवेदन समर्पित किया जा सकेगा। स्थानीय प्राधिकार वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करायेगा। जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति ऐसे मामलों में नियमानुसार निर्णय लेगी एवं अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगी।

(6) सरकार द्वारा देय निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक, लेखन सामग्री या पोशाक उपलब्ध नहीं होने की शिकायत विद्यालय प्रबंध समिति से की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित बच्चे के माता पिता अभिभावक स्थानीय प्राधिकार के समक्ष अपील करेंगे।

(7) विद्यालय / शिक्षक द्वारा बच्चे के प्रति किसी प्रकार के भेद–भाव बरते जाने की शिकायत प्रथमतः विद्यालय प्रबंध समिति को की जायेगी। प्रबंध समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में प्रथम अपील स्थानीय प्राधिकार एवं द्वितीय अपील जिला शिक्षा न्यायाधीकरण के समक्ष दायर किया जायेगा।

(8) शिक्षकों के अविधिमान्य प्रतिनियोजन या उनके द्वारा ट्यूशन / कोचिंग कार्य किए जाने की शिकायत स्थानीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जा सकेगी। स्थानीय प्राधिकार द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने या उनके निर्णय के विरुद्ध अपील जिला शिक्षा न्यायाधीकरण में किया जायेगा।

(9) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से संबंधित प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इसकी शिकायत विद्यालय प्रबंध समिति से की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में स्थानीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया जायेगा।

21. **राज्य सलाहकार परिषद् का गठन–**

(1) राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् परिषद् कहा गया है) एक अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) राज्य सरकार में प्रारंभिक शिक्षा का प्रभारी मंत्रिपरिषद् का सदस्य पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जायेगी, जो निम्नानुसार है:–

(क) छः से कम तीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं ;

(ख) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिनके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो ;

(ग) दो सदस्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होंगे ;

(घ) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जिनके पास अध्यापन अथवा शिक्षा के क्षेत्र मे विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है।

(ङ) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:—

(i) प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव / प्रधान सचिव ;
(ii) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ;
(iii) अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग / अध्यक्ष आर0ई0पी0ए0;
(iv) झारखण्ड राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक;
(v) राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक ;
(vi) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

(च) सभी सदस्यों में से एक तिहाई महिला होंगी।

(छ) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा इस परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

(4) परिषद् अन्य संबद्ध मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

भाग 9—अन्यान्य

22. अन्यान्य —

(1) ऐसे विद्यालय, जिसे सरकार द्वारा लीज / रायल्टी अथवा अनुदानित दर पर भूमि उपलब्ध कराई गयी हो, को अधिनियम की धारा 2(n)(ii) में वर्णित सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की श्रेणी में सम्मिलित माना जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार आयोग, शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकार, स्थानीय प्राधिकार या व्यक्ति के द्वारा सद्भावना से किये गये या किये जाने वाले किसी कार्य के विरुद्ध किसी प्रकार का अभियोग, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी।

(3) यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में किसी कठिनाई की संभावना उत्पन्न होगी तो राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत हो।

(4) राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा निर्गत इस नियमावली से संबंधित कोई भी स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

(5) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली को स्पष्ट कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मृदुला सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।